# यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

) 71/20 तारीखरजू:– 22.10.2020

उनवानः– अशफाक खॉन बनाम नन्नू वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

| क | फर्द अहकाम | |
|---|---|---|
| 10.2020 | प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री जाकिर खॉन एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायलान व गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 11.11.2020 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 627/0.12 है0 ग्राम भैसा पट्टी कला तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी 11.11.2020 तक जो स्थिति आज दिनांक को है, वही बनाये रखे।<br>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.11..2020 को पेश हो।<br><br>(दुर्गा प्रसाद मीना)<br>उप जिला कलक्टर<br>टोडाभीम जिला करौली | 5671-23<br>22.10.2020 |
| 11.11.20 | प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी नं. 1,2 की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 3 बावजूद सूचना उप0 नही0 है। P.O. सा0 अन्य कार्य मे व्यस्त हैं। अर्जेन्ट वास्ते जवाब दि0 22.12.20 को पेश हो। | |

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोंडाभीम जिला क[illegible]

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| 22.12.20 | वकुलाय उप०/ अप्रार्थीगण 1 व 2 के वकील ने प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित 151 CPC, दस्तावेज किता 3 के जवाब पेश किया/ प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी ने प्राप्त की/ P.O. सा० तोरोधालत में पधारे हैं, द० का जवाब पेश करने दिनाँक 2.2.21 को पेश हो। |
| 2.2.21 | वकुलाय उप०/ द० का जवाब पेश करने दिनाँक 16.2.21 को पेश हो। |
| 16.2.21 | पत्रावली पेश हुई/ प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं हैं। कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी प्रार्थीगण एवं वकील प्रार्थीगण उपस्थित नहीं हैं, अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। |

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोंडाभीम
जिला-करौली